वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2023–2024)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 4004137
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना।	3
2.	कार्यकारी संक्षिप्त विवरण।	4
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण।	5 से 9
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु।	10 से 11
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/ परिवर्धन सम्मिलित।	12 से 14
6.	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या।	15
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति।	16
8.	राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी।	17 से 18

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (4) के अनुसार ''राज्य आयोग तीन सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगा जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है''। वित्तीय वर्ष 2023–24 (अवधि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) की अवधि में आयोग में पदस्थ अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :–

(वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य भार ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान/ सेवानिवृत्त
1.	श्री एस.पी.एस. परिहार	अध्यक्ष	15.07.2020	02.01.2025	वर्तमान
2.	श्री गोपाल श्रीवास्तव	सदस्य (विधि)	04.02.2022	06.01.2027	वर्तमान
3.	श्री प्रशांत कुमार चतुर्वेदी	सदस्य (तकनीकी)	25.01.2023	19.09.2025	वर्तमान

अध्याय – 2

कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रत्येक वर्ष में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट), नियम 2019'' जारी किए गए हैं।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित है।

अध्याय – 3

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ संबंधी आदेश

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश दिनांक
1	याचिका क्रमांक 03/2023	बी.एल.ए.पावर लिमिटेड	बी.एल.ए. पावर लिमिटेड के ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) में स्थित इकाई क्रमांक–1 (45 मेगावाट) कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के टैरिफ के वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के सत्यापन हेतु याचिका जिसके टैरिफ का निर्धारण 14.12.2022 के आदेश से निर्धारित किया गया था।	09.05.2023
2	एस.एम.पी. क्रमांक 08/2023	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग	बायोमास सह–चालित ताप विद्युत परियोजना में बायोमास से विद्युत उत्पादन के आकलन की पद्धति संबंधी स्वप्रेरणा याचिका।	26.04.2023
3	याचिका क्रमांक 11/2023	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा एसजीटीपीएस, बिरसिंहपुर की 2x210 मेगावाट पीएच–1, इकाईयों (इकाई क्रमांक 1 और 2) के लिए मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के प्रावधान 30 के तहत विशेष भत्ता प्राप्त करने हेतु दायर याचिका।	27.07.2023
4	याचिका क्रमांक 14/2023	बी.एल.ए.पावर लिमिटेड	बी.एल.ए.पावर लिमिटेड के ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) में स्थित 2X45 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (इकाई क्रमांक – 1 और 2) के वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक नियंत्रण अवधि के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर याचिका।	13.06.2023

5	याचिका क्रमांक 41/2023	बी.एल.ए.पावर लिमिटेड	बी.एल.ए.पावर लिमिटेड के ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) में स्थित जनरेटिंग स्टेशन जिसमें 45 मेगावाट की 2 इकाईयाँ शामिल है, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अनुबंधित क्षमता की बिक्री के टैरिफ सत्यापन हेतु दायर याचिका।	10.11.2023
6	याचिका क्रमांक 52/2023	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	मप्रविनिआ विनियम, 2020 के प्रावधान 30 के तहत पीएच–2, एसजीटीपीएस, बिरसिंहपुर की यूनिट क्रमांक 3 (210 मेगावाट) के लिए विशेष भत्ता प्राप्त करने हेतु दायर याचिका।	17.01.2024
7	याचिका क्रमांक 54/2023	एम.बी.पावर (एम.पी.) लिमिटेड	एम.बी.पावर (म.प्र.) लिमिटेड के जिला अनुपपूर में स्थित ताप विद्युत परियोजना की इकाई क्रमांक 1 और 2 (प्रत्येक 600 मेगावाट) के वित्तीय वर्ष 2022–23 के टैरिफ के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं धारा 86 (1) (ए) सहपठित मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर याचिका।	07.02.2024
8	याचिका क्रमांक 59/2023	मुख्य अभियंता राज्य भार प्रेषण केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर के द्वारा शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु दायर याचिका।	21.02.2024
9	याचिका क्रमांक 61/2023	झाबुआ पावर	झाबुआ पावर लिमिटेड के बरेला, गोरखपुर जिला सिवनी म.प्र. में स्थित 1x600 मेगावाट सिवनी ताप विद्युत परियोजना के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ (4 सितंबर 22 तक की अवधि के लिए) के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 (1)(ए) सहपठित, मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर याचिका।	05.03.2024

10	याचिका क्रमांक 62 / 2023	जे.पी.वी.एल (निगरी)	जे.पी.वी.एल पोस्ट निगरी, जिला सिंगरौली, म.प्र. में कोयला आधारित 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना के वित्तीय वर्ष टैरिफ 2022–23 के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 86 (1)(ए) सहपठित, मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर याचिका।	28.02.2024
11	याचिका क्रमांक 63 / 2023	जे.पी.वी.एल (बीना)	जे.पी.वी.एल (बीना), जिला सागर म.प्र. में 2x250 मेगावाट (चरण–I) कोयला आधारित विद्युत परियोजना के वित्तीय वर्ष 2022–23 के टैरिफ के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 62 और धारा 86(1)(ए) सहपठित, मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर याचिका।	22.02.2024
12	याचिका क्रमांक 64 / 2023	मेसर्स लेंको अमरकंटक लिमिटेड	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, पाथडी, कोरबा, छत्तीसगढ़, कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना 300 मेगावाट (इकाई–1) के वित्तीय वर्ष 2022–23 के टैरिफ के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 (1) (ए) और (बी) और धारा 64(5) सहपठित मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर याचिका।	02.02.2024
13	याचिका क्रमांक 70 / 2023	म.प्र.विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	म.प्र. विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के पारेषण के टैरिफ के सत्यापन हेतु दायर याचिका।	28.02.2024
14	याचिका क्रमांक 71 / 2023	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा मप्रविनिआ के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19.05.2021 के माध्यम से निर्धारित टैरिफ के वित्तीय वर्ष 2022–23 में सत्यापन हेतु दायर याचिका।	07.03.2024

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किये गये खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की वितरण कंपनियों म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 73/2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु दर आदेश।	06.03.2024
2	म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की वितरण कंपनियों म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 68/2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जारी खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश में स्वीकृत समग्र राजस्व आवश्यकता का सत्यापन आदेश।	05.03.2024
3	याचिका क्रमांक 74/2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एम.पी. आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश।	07.03.2024
4	याचिका क्रमांक 67/2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु एम.पी. आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए जारी खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश में स्वीकृत समग्र राजस्व आवश्यकता का सत्यापन आदेश।	06.03.2024

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

वर्ष 2024–25 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 06.03.2024 को पारित किया गया। इस आदेश की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:–

1. निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि की विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई।
2. उच्च दाब विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई।
3. निम्न दाब घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत–न्यूनतम प्रभार समाप्त किये गये।
4. उपभोक्ताओं को कोई मीटरिंग प्रभार नहीं लगेंगे।
5. प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टी ओ डी (टाइम ऑफ डे) अर्थात समय अनुसार टैरिफ निर्धारित किया गया।
6. उच्च दाब उपभोक्ताओं को रात्रिकालीन उपभोग पर पूरे वर्ष विद्युत दर में 10% की छूट दी गई।
7. उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को छूट/प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रखी गई।
8. प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट/ प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रखी गई।
9. शीघ्र / ऑनलाईन भुगतान के लिए छूट /प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रखी गई।
10. पावर फैक्टर / लोड फैक्टर प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रखी गई।
11. हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन

    (i) प्रमाणीकरण हेतु हरित ऊर्जा टैरिफ में 42% की कमी की गई।

    (ii) प्रमाणीकरण हेतु हरित ऊर्जा लेने के लिए न्यूनतम खपत की सीमा समाप्त की गई।
12. विद्युत वितरण कंपनियों के लिए शोध एवं विकास (R&D) फंड की व्यवस्था की गई, जिससे तकनीकी हस्तक्षेप, संचालन दक्षता में सुधार एवं लागत में बचत का अध्ययन हो सके।
13. वितरण कंपनियों को उपभोक्ता सेवाओं में बेहतरी के निर्देश – उपभोक्ता सेवा में खामी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा।

14. तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों एवं एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए टैरिफ विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही निम्नानुसार वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया।

कम्पनी	**वर्ष 2024–25 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर**
पूर्व क्षेत्र	**19.49%**
पश्चिम क्षेत्र	**13.40%**
मध्य क्षेत्र	**19.57%**
एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर	**1.35%**

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित हैः–

स.क्रं.	विवरण	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
1	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन (एआरजी–24(I)(ii), वर्ष 2023)	730/मप्रविनिआ/2023	05.04.2023
2	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन (एआरजी–33(II)(ii), वर्ष 2023)	693/मप्रविनिआ/2023	07.04.2023
3	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (तृतीय–संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–33(II) (iii), वर्ष 2023}	1684/म.प्र.वि.नि.आ./2023	28.07.2023
4	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) (प्रथम–संशोधन) विनियम, 2023 {एजी–46) (i), वर्ष 2023}	1685/म.प्र.वि.नि.आ./2023	28.07.2023
5	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (तृतीय–संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24(I) (iii), वर्ष 2023}	1686/म.प्र.वि.नि.आ./2023	28.07.2023

6	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2012 (द्वितीय–संशोधन) {एआरजी–8(II) (ii), वर्ष 2023}	1846 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	25.08.2023
7	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारो के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 मे द्वितीय संशोधन	2735 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	08.12.2023
8	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम–संशोधन) 2009 {एआरजी–30(I) (i), वर्ष 2023}	2740 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	08.12.2023
9	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (प्रथम संशोधन) {एआरजी–I (II) (i) वर्ष 2023)	2741 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	08.12.2023
10	मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 [आरजी–34 (II) वर्ष 2023}	2896 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	29.12.2023
11	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (द्वितीय–संशोधन) {एआरजी–1(II) (ii), वर्ष 2024}	180 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	17.01.2024
12	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (प्रथम–संशोधन) {जी–45 (i), वर्ष 2024}	233 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	22.01.2024
13	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अपीलीस प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम, 2024 (द्वितीय संशोधन) {एजी–15(ii) वर्ष 2024}	220 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	26.01.2024

14	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009 में (द्वितीय संशोधन) {एआरजी–30(I)(ii), वर्ष 2024}	480 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	20.02.2024
15	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2024 (आरजी–23(1), 2024)	506 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	01.03.2024
16	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान अर्थात सब्सिडी भुगतान करने की रीति), (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2024 (आरजी–32(1), 2024)	573 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	01.03.2024
17	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु संरचना) विनियम, 2024 {आरजी–19) (III), वर्ष 2024	616 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	05.03.2024
18	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 (द्वितीय–संशोधन) {एजी–44 (ii), वर्ष 2024}	691 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	14.03.2024
19	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियॉ एवं संबंधित मामले) विनियम, (पुनरीक्षण–द्वितीय) 2024 {आरजी–39(II), वर्ष 2024}	692 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024	14.03.2024
20	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–तृतीय), 2024 {क्रमांक आरजी–14 (iii), वर्ष 2024}	क्र. मप्रविनिआ / 2024 / 672	15.03.2024
21	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने हेतु कारबार का संचालन) विनियम, 2023 (जी–47, वर्ष 2023)	981 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	12.05.2024

अध्याय – 6

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालयः–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 35 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 03 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थीं। इस प्रकार कुल 38 याचिकाओं में से 35 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 03 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2024–25 में जारी रहेगी।

विनियमन प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 22 याचिकाएं पंजीकृत की गई; जिनमें 3 स्वप्रेरणा याचिकाएं शामिल है। पूर्व वर्ष की 03 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थीं, इस प्रकार कुल 25 याचिकाओं में से 24 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 01 याचिका पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2024–25 में जारी रहेगी।

टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 29 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 09 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थीं। इस प्रकार कुल 38 याचिकाओं में से 34 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 04 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2024–25 में जारी रहेगी।

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (द), (ध) एवं (यत) सहपठित धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) सहपठित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 (यथासंशोधित) के प्रावधानों तथा इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, द्वारा, दिनांक 20 अगस्त, 2009 को अधिसूचित विनियमों को अतिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया है। जिसके मुख्य प्रावधान निम्न हैः–

फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम की धारा 42 (5) के अंतर्गत फोरम का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोद्दिष्ट किया जाएगा। उपसंभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्र, कम्पनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एक या एक से अधिक फोरमों का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोदिष्ट किया जाएगा। यह फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान सामान्यतः 30 दिवस की अवधि के भीतर करेंगे जो किसी भी दशा में 45 दिवस से अधिक न होगी। तद्नुसार तीनों वितरण कंपनियों द्वारा उनके मुख्यालयों एवं वृत्त स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है। कंपनी स्तर की फोरम जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर में कार्यशील है, जबकि वृत्त स्तरीय फोरम वृत्त मुख्यालय मे कार्यशील है।

विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा नामोद्दिष्ट कर सकेगा । उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता विद्युत लोकपाल को आवेदन दे सकता है। विद्युत लोकपाल कार्यालय आयोग परिसर भोपाल में कार्यशील है ।

अध्याय – 8

राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता हैः–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी/अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों के शोध संस्थाओं में से चयन उपरांत सदस्य मनोनीत कर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है । सलाहकार समिति की बैठक आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य है। राज्य शासन के, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, समिति के पदेन सदस्य हैं। राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री द्वारिका गुप्ता	अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज, नियर सर्किट हाउस चौक, गली नंबर 3, राजेन्द्र नगर, सतना(म.प्र.)–485001	वाणिज्य
2	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पिलिकरर, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र.)– 466445	उद्योग
3	श्री प्रहलाद सिंह	ग्राम नोनिया कलन, पोस्ट सिंगोड, तहसील पनागर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)	कृषि
4	श्री दयाराम पाटीदार	उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट–सिधाना, तहसील मनावर, जिला–धार (म.प्र.)–454446	कृषि
5	श्री के.के. तिवारी	मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इंदौर (म.प्र.)–452011	श्रमिक/मजूदर
6	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला – भोपाल (म.प्र.)– 462023	गैर शासकीय संगठन

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
7	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इण्टरप्रेन्यूर, 433/2, नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)–462008	गैर शासकीय संगठन
8	श्री बी.ए. सावले	डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र.)– 462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
9	श्री विपिन कुमार जैन	म.प्र. लघु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कॉलोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.)–462016	उद्योग
10	श्री सी.बी. मालपानी	सचिव , एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रिज, मण्डी दीप, रायसेन – 462046	उद्योग
11	श्री डी.एल. मीना	चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर – 482001	परिवहन
12	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुल्हड़ा (डोलरिया), जिला–होशंगाबाद –461116	कृषि
13	श्री रवि गुप्ता	445, कोठवाली मिलोनीगंज, जबलपुर –482002	वाणिज्य
14	श्री एस.एन. गोयल	चेयरमेन एण्ड एम.डी., इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस : प्लॉट नंबर. – सी–001/ए/1, 9 वीं मंजिल मैक्स टावर्स, सेक्टर 16बी, नोएडा, (यूपी)–201301	वाणिज्य
15	डॉ. प्रवीण कुमार पानिग्रही	प्रोफेसर, इंफोर्मेशन सिस्टम एरिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ– पीथमपुर रोड़, इंदौर (म.प्र.)–453556	शैक्षणिक
16	श्री राहुल चौधरी	प्रिंसिपल एडवाईजर, (सेंटर फॉर इकोनॉमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एण्ड पॉलिसी एनालिसिस, सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल –462003	शैक्षणिक
17	प्रो. डॉ. गयूर आलम	सीनियर प्रोफेसर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डेम रोड़, भोपाल – 462044	शैक्षणिक